न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 67/2019 राजस्व अपील

1. चिरंजी
2. कल्याण
3. गिरधारी
4. राजाराम

पि. नवास्या जाति गुर्जर निवासी ग्राम गढ तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राज. सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.9.2018 न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय प्रकरण उनवानी सरकार बनाम चिरंजी वगैरा. अ. धारा 91 एल. आर. एक्ट

उपस्थिति : श्री पदमसिंह गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: पैरोकार सरकार उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांकः 02.03.2020

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्ट्स के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्ट्स ने ग्राम गढ तहसील सिकराय की चरागाह भूमि आराजी खसरा नं. 725 रकबा 0.50 है. पर सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट्स को बिना कोई सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही दिनांक 10.09.2018 को एकतरफा में निर्णय पारित कर अपीलान्ट्स को 30 दिवस के सिविल कारावास व पेनल्टी की सजा से दण्डित कर पेनल्टी कायम कर दी। उक्त निर्णय की पालना में पुलिस ने अपीलान्ट्स को दिनांक 4.4.2019 को गिरफ्तार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट्स प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय खिलाफ कानून नियम, उपनियम व पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट्स देहाती, अनपढ किसान है जिन्हे मियाद सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं है। अपीलान्ट्स ने

अति० जिला कलेक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किसी भी सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट्स को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नहीं दिया गया जबकि सजा जैसे मुकदमे में पीडित पक्ष को सुनवाई का मौका देकर ही निर्णय किया जाना चाहिए। पत्रावली पर अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई सबूत नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम चिरंजी वगै. मु. नं. 67/2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स ने संवत 2075 में ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 0.50 है. पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल करने एवं शास्ति आरोपित करने के साथ ही एक माह (30 दिवस) के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट्स खारिज फरमायी जाकर उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय दिनांक 10.09.2018 को यथावत रखने का निवेदन किया गया।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं जिरह का अवसर दिया जाकर ही प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्ट्स ने 2075 में ग्राम गढ तहसील सिकराय में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 725 रकबा 0.50 है. पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 10.09.2018 में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। मुकदमा नम्बर 77/2018 उनवानी सरकार बनाम चिरंजी वगैराह में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा